संख्या- 3189 -प्रो0/51-2013- 20 (50)/2013

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांकः 11 अक्टूबर , 2013

विषयः विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों को उपलब्ध कराए गए परिवहन से सम्बन्धित देयकों का भुगतान।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में पधारने वाले महानुभावों को उ0प्र0 राज्य अतिथि नियमावली,2011 की श्रेणी-1 एवं 2 के अन्तर्गत राज्य आतिथ्य प्रदान किया जाता है तथा राज्य आतिथ्य से भिन्न अन्य महानुभावों के प्रवास व परिवहन की व्यवस्था उक्त नियमावली,2011 की श्रेणी-3 के अन्तर्गत भुगतान के आधार पर किए जाने का प्राविधान है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार जिन महानुभाव के प्रवास व परिवहन की व्यवस्था भुगतान के आधार पर की जाती है। उनसे भ्रमण से पूर्व अथवा भ्रमण समाप्त होने के बाद स्थल पर ही अत्यन्त शिष्ट एवं व्यवहारिकता प्रदर्शित कर अपने स्तर से भुगतान प्राप्त करने का कष्ट करें। यदि यह सम्भव न हो तो उनसे सम्बन्धित विभाग/संस्था से तत्काल भुगतान प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अस्तु ऐसे देयक शासन के प्रोटोकाल विभाग को भुगतान हेतु प्रेषित न किए जाए।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या-3189 (1)-प्रो0/51-2013-20 (50)/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- स्थानिक आयुक्त,उ.प्र.,नयी दिल्ली (नई दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के विभागा/आयोगों एवं अन्य राज्यों के स्थानिक आयुक्तों के मध्य वितरित करने के निमित्त)।
2- निबन्धक, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच लखनऊ
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद,उ0प्र0

आज्ञा से,

(एम.एस.ए.सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।